रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253362
CG-DL-E-23032024-253362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 2024/चैत्र 3, 1946
No. 64] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 2024/CHAITRA 3, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

आ.अ. 70(अ).—यत:, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की कश्मीर घाटी में 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण दूसरे स्थानों पर प्रव्रजित हो गए थे और अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रहते आ रहे हैं; और

यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने, ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया था कि ये प्रवासी, अपने प्रवास के बावजूद, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों के समावेशन/प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के "सामान्य निवासियों" के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए, उनके नामों को निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत 01.01.2024 की अर्हक तारीख के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी;

यत:, राज्य विधान सभा के निर्वाचन, 1996 के समय तत्समय प्रचलित जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 और जम्मू-कश्मीर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1965 के तहत एक विशेष योजना चलाई गई थी जिसने इन प्रवासी मतदाताओं को उनके मूल स्थानों के उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सक्षम बनाया था;

यत:, उपर्युक्त मतदाता वर्ग को यह सुविधा 1998 और 1999 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (नियम 27क से 27ट तक) में संशोधन करके प्रदान की गई थी;

यत:, देश के विभिन्न हिस्सों से मतदाताओं के अधिसूचित वर्ग द्वारा दोनों ही तरीकों से डाक मतपत्रों के देरी से प्रेषण से संबंधित अनेक शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने सितम्बर-अक्तूबर 2002 में आयोजित जम्मू-कश्मीर के विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान निर्णय लिया था कि इन प्रवासी मतदाताओं को उनका मताधिकार दिलाने के लिए उन्हें तत्समय प्रचलित जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 36क(1) के तहत जम्मू, ऊधमपुर और दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर स्थापित "विशेष मतदान केंद्रों" में व्यक्तिश: मतदान करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। वे प्रवासी निर्वाचक, जो इन विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिश: मतदान करने की इस सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे, को पिछले निर्वाचनों की तर्ज पर डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा का उपयोग करके मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने का विकल्प दिया गया था;

यत:, उक्त योजना के सुचारू रूप से चलने के दृष्टिगत यह सुविधा 2008, 2014 में आयोजित विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान और 2004, 2009, 2014 और 2019 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान भी प्रदान की गई थी;

यत:, भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2009 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को प्रख्यापित और, अन्य बातों के साथ-साथ, जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को निरस्त कर दिया है और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में इसके प्रारंभ के समय से ऐसा पहली बार होगा जब निर्वाचन आयोजित किए जाएंगे;

अब, इसलिए निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में, वर्ष 2024 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान करने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना को जारी रखने का निदेश देता है और तदनुसार, एतदद्वारा, 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी नामांकित पूर्वोक्त ऐसे प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनसे इतर जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के अंतर्गत डाक मतपत्र के द्वारा मत देने के लिए अधिसूचित किया गया है, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनके लिए ऊपर उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर विशेष मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी।

[सं. 3/जम्मू-कश्मीर/लो.स./2024(एस)]

आदेश से,

बी.सी.पात्रा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

O.N. 70(E).—WHEREAS, a number of electors of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag-Rajouri Parliamentary Constituency in the Kashmir valley of Union Territory of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various places outside their place of ordinary residence; and

WHEREAS, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants shall continue to be treated as "ordinarily residents" of their respective places for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the concerned constituency despite their migration and as such their names were allowed to be incorporated in the electoral rolls summarily revised under the order of the Election Commission with reference to 01-01-2024 as the qualifying date;

Whereas, at the time of the elections to the State Legislative Assembly, 1996, a special scheme was devised under the then prevalent Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 and the Jammu and Kashmir Conduct of Elections Rules, 1965, which enabled these migrant voters to vote by postal ballot for their respective constituencies of their native places;

Whereas, the same facility to the above class of voters was extended at the time of the General Election to the House of People held in 1998 and 1999 by amending the Conduct of Election Rules, 1961 (Rules 27A to 27K);

Whereas, after taking into account several complaints about the delay transmission of the postal ballot in both ways by notified class of voters from different parts of the country, the Election Commission had decided during the General Election to the Legislative Assembly of J&K held in September-October, 2002 to provide these migrant voters their voting right , they should be enabled to vote in person at "special polling stations" set up outside the territorial limits of the constituency at Jammu, Udhampur and Delhi under Section 36A(1) of the then Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957. Those of migrant voters who were not in a position to avail of this facility to vote in person at these special polling stations were given the option of exercising their right to vote by availing of the facility to vote by postal ballot as was done in the previous elections.

Whereas, the said scheme having worked very well, the facility was extended during general election to Legislative Assembly held in 2008, 2014 and General Election to the Lok Sabha held in 2004, 2009, 2014 and 2019;

Whereas, the Government of India vide notification dated 9th August, 2019 has abrogated Article 370 of the constitution and promulgated The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 and inter-alia repealed the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 and Union Territory of Jammu and Kashmir would go for elections the very first time since its inception;

NOW, THEREFORE, the Election Commission, in exercise of powers vested by Article 324 of the Constitution read with Section 25 of the Representation of the People Act, 1951, for the purpose of casting votes at the poll in the General Election to the House of the People of Union Territory of Jammu and Kashmir, to be held in 2024, in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the Representation of the People Act, 1951, directs continuation of the said scheme and accordingly hereby specifies the aforesaid migrant electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag-Rajouri, who are residing outside their place of ordinary residence, but other than those who have been notified under clause (c) of Section 60 the Representation of the People Act, 1951 to vote by postal ballot, as the class of persons for whom special polling stations shall be provided outside the territorial limits of the Parliamentary Constituencies mentioned above.

[No. 3/J&K-HP/2024 (S)]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.23 17:32:31 +05'30'